रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 377] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 1982/भाद्र 1, 1904

No. 377] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 1982/BHADRA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1982

का०आ० 611 (अ)/81 कक/उ०वि०वि०अ०/82—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 112 (अ) आई डी आर ए/79 तारीख 26 फरवरी, 1979 (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन छ महीने की अवधि के लिये अर्थात् 25 अगस्त, 1979 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक ग्रहण किया था और एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया गया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 476 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/79, तारीख 22 अगस्त, 1979, सं० का०आ० 637 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/80, तारीख 23 अगस्त, 1980, सं० का०आ० 126(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/81, तारीख 23 फरवरी, 1981 तथा सं० का०आ० 98(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/82, तारीख 25 फरवरी, 1982, द्वारा उक्त आदेश की अवधि तारीख 25 अगस्त, 1982, (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई थी,

और भारत सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को छ महीनों की और अवधि के लिए एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के अधीन बना रहना चाहिए,

अत, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि उक्त आदेश छ महीनों की और अवधि के लिए अर्थात् तारीख 25 फरवरी, 1983, तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 5(14)/78-सीयूएस]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1982

S.O 611(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 112(E)/18AA/IDRA/79,

dated the 26th February, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial Undertaking known as Messrs Brestford Electric (India) Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of six months upto the inclusive of 25th August, 1979 and the Andrew Yule & Company Limited, Calcutta was authorise to take-over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 476(E)/18AA/IDRA/79, dated the 22nd August, 1979, S.O. No. 637(E)/18AA/IDRA/80, dated the 23rd August, 1980, No. S.O. 126(E)/18AA/IDRA/81, dated the 23rd February, 1981 and No. S.O. 98(E)/IDRA/82, dated 25th February, 1982, the duration of the said Ordered was extended for a further period upto and inclusive of the 25th August, 1982;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Andrew Yule & Company Limited, Calcutta for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 25th February, 1983

[F. No. 5(14)/78-CUS]

का०आ० 612(अ)/18एफ०बी०/आई/डी आर ए/82:—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 124(अ)/18 एफ०बी०/आई डी आर ए/79, तारीख 5 मार्च 1979, तथा सं० का०आ० 130(अ)/18 एफ०बी०/आई डी आर ए/79, तारीख 9 मार्च, 1979, (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन उप नियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेशों के जारी होने की तारीखों के ठीक पूर्व प्रदत्त ऐसे सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण, पत्रों, करारों, व्यवस्थानों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों जिनका मैसर्स ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लि० कलकत्ता नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू हो सकते हों का प्रवर्तन 25 अगस्त 1979 तक की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार विवेकाधिकार बाध्यताएं और दायित्व 25 अगस्त, 1979 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) कि अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 477 (अ)/18 एफ०बी०/आई डी आर ए/79, तारीख 22 अगस्त, 1979, सं० का० आ० 638 (अ) 18 एफ० बी०/आई डी आर. ए/80, तारीख 22 अगस्त, 1980, सं० का० आ० 127 (अ) 18/एफ बी आइ डी आर ए/ 81, तारीख 23 फरवरी, 1981, तथा स० का० आ० 99(अ)/एफ० बी०/आई डी० आर ए/82, तारीख 25 फरवरी 1982, द्वारा उक्त आदेशों की अवधि 25 अगस्त, 1982, (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो गई है कि उक्त आदेशों की अवधि छ महीनों के लिए अर्थात् 25 फरवरी, 1983, (जिसमें यह दिन भी शामिल है) और बढ़ा दी जानी चाहिए,

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेशों की अवधि 25 फरवरी, 1983, तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) और बढ़ाती है।

[फा०सं० 5(1)/78-सीयूएम]

राज कुमार भार्गव, संयुक्त सचिव

S.O. 612(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas by two Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 124(E)/18FB/IDRA/79, dated the 5th March, 1979, No. S.O.130(E)/18FB/IDRA/79, dated the 9th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Orders), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operations of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, award, standing orders or other instruments, in force immediately before the dates of the issue of the said Orders, to which the industrial undertaking known as Messrs. Brentford Electric (India) Limited, Calcutta was a party or which might be applicable to the said industrial undertaking, should remain suspended for a period upto the 25th August, 1979 and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date should remain suspended for a period upto and inclusive of the 25th August, 1979;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 477(E)/18FB/IDRA/79, dated 22nd August, 1979, No. S.O. 638(E)/18FB/IDRA/80, dated the 23rd August, 1980, No. S.O. 127(E)/18FB/IDRA/81, dated the 23rd February, 1981 and No. S.O. 99(E)/18FB/IDRA/82, dated the 25th February, 1982, the duration of the said Orders was extended for a further period upto and inclusive of the 25th August, 1982;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Orders should be extended for a further period of six months upto and inclusive of the 25th February, 1983;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Orders upto and inclusive of the 25th February, 1983.

[F. No. 5(14)/78-CUS]

R. K. BHARGAVA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982